संख्या 19 /2015/ 1233 / सत्रह-म 2015 111 -4अ (20)/2006

प्रेषक

चन्द्रकान्त पाण्डेय
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक अगस्त 2015

विषय - राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड (एन0एफ0डी0बी0) पोषित कार्यक्रम योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत राज्यांश रू0 4.194025 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय

उपरोक्त विषय आपके पत्र संख्या 327 / नि0शा0/एन0एफ0डी0बी0 दिनांक 27-07-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड (एन0एफ0डी0बी0) योजना 90 प्रतिशत तथा राज्यांश 10 प्रतिशत के मैचिंग ग्रान्ट से संचालित की जाती है।चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 100.00 लाख का बजट प्राविधान है। एन0एफ0डी0बी0 हैदराबाद के पत्र संख्या 01-211/ एन0एफ0डी0बी0-।।। /यू0पी0।डी0एम0/आर0ई0एम0/2013-14 दिनांक 21-02-2014 द्वारा जनपद लखनऊ स्थिति दुबग्गा हरदोई रोड मत्स्य बाजार सुदृढीकरण हेतु प्रति यूनिट रू0 102.33005 लाख के इकाई लागत से स्थापित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। जिसमें बोर्ड की धनराशि रू0 92.10 लाख (रू0 बान्बे लाख दस हजार) तथा राज्य सरकार का अंश रू0 10.23005 लाख ( रू0 दस लाख तेइस हजार पॉच ) होता है। एन0एफ0डी0बी हैदराबाद द्वारा वर्ष 2013-14 में अपने अंश रू0 92**.10** लाख में से रू0 9.21 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की थी जिसके सापेक्ष्य राज्यांश रू0 0.9210 ( बान्बे हजार एक सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासन के पत्र संख्या -541/ सत्रह-म-2013-।।।-4अ (20)/2006 दिनांक 19 मार्च2014 द्वारा निर्गत किया जा चुका है ।

अत: अवशेष राज्यांश (5.115025 लाख - रू0 0.9210 लाख ) रू0 4.194025 लाख(रू0 चार लाख उन्नीस हजार चार सौ दो एवं पचास पैसा) अर्थात रू0 4.19403 (रू0 चार लाख उन्नीस हजार चार सौ तीन मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड (एन0एफ0डी0बी0) पोषित कार्यक्रम योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है:-

http://shasanadesh.up.nic.com

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

1. उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तो तथा एन0एफ0 डी0बी0 /भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा ।
2. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तगर्त राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।
3. शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

2. उपरोक्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या - 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन - आयोजनागत - 101- अन्तर्देशीय मछली पालन -04- मत्स्य विकास कार्यक्रम -0401- राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड पोषित कार्यक्रम (एन0एफ0डी0बी0 90/रा0 10) -रा-27 सब्सिडी के नामें डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त ( आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2015 /बी0-1-925/दस -2015 -231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत में जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या 19/2015/ 1233 (1)/सत्रह-म-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लाल धीरेन्द्र राव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.com

---

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**